

पूज्य श्री कुन्दकुन्द कहान धर्मरत्न पण्डित श्री बाबूभाई महेता दिगम्बर जैन सत् समागम
पब्लिक चेरीटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित चैतन्यधाम के अर्न्तगत



चैतन्य विद्यानिकेतन, चैतन्यधाम



“घर - घर शिक्षा घर - घर ज्ञान, चैतन्यधाम का यह अभियान”
सौजन्य - चेतनाबेन सुभाषचन्द सौमचन्द कोटडीया - वापी

N.H.- 48 मु.पो. धणप, जिला गांधीनगर, अहमदाबाद (गुजरात)

Email : chaitanyadham@gmail.com

Web : www.chaitanyadham.com

आवेदन पत्र सत्र 2022-23

(आवेदक छात्र स्वयं अपनी लिपि मे यह आवेदन पत्र भरें)

छात्र का नाम: _____
पिता का नाम: _____
माता का नाम: _____
घर का स्थायी पता: _____

कृपया
वर्तमान
फोटो ही
लगायें

PIN

Email ID

Mobile No. Whatsapp No.

पिता/संरक्षक का व्यवसाय : _____ मासिक आय

परिवार के सदस्यों का विवरण : _____

मातृ भाषा : _____ अन्य भाषा की जानकारी : _____

अध्ययनरत विद्यालय का नाम : _____

संबंधित बोर्ड का नाम : माध्यम : अंग्रेजी/हिन्दी/अन्य

किस कक्षा मे प्रवेश चाहते हो :

पिछली कक्षा : थी जिसका परिणाम

SA 1 + SA 2 = ग्रेड

SA 1 + SA 2 = %

यदि किसी धार्मिक विषय की परीक्षा दी हो तो उसका विवरण : _____

किन किन वस्तुओं का त्याग है _____

विशेष रुचि किन कार्यों में एवं खेलकूद मे है _____

केश / डीडी (D D NO.)..... बैंक का नाम राशि

पूर्व बिमारी हो तो उसका नाम एवं विवरण.....

ब्लड ग्रुप अभी तक यदि कोई बड़ी बिमारी/ऑपरेशनादि हुआ हो तो अवश्य बताये

अथवा किसी दवा या वस्तु से एलर्जी हो तो उसका नाम वजन लम्बाई

MBBS डाक्टर का स्वास्थ्यता का प्रमाण पत्र। (कोई भी रिपोर्ट 3 माह से पुरानी नहीं होनी चाहिए)

कृपया नियमों को ध्यान पूर्वक पढ़कर ही हस्ताक्षर करें।

दिनांक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

चैतन्य विद्यानिकेतन मे प्रवेश हेतु नियमावली

छात्र एवं अभिभावक से निवेदन है कि वे निम्न दिशा निर्देश को अच्छी प्रकार से पढ़ ले तथा मन वचन काय से स्वीकृति हाने पर ही आवेदन करें।

प्रवेश प्रक्रिया

1. नवीन सत्र का शुभारम्भ इस वर्ष अप्रैल के प्रथम सप्ताह से किया जायेगा।
2. चैतन्य विद्यानिकेतन मे प्रवेश कक्षा 7वीं के पश्चात् होता है।
3. 8 वीं से 12 वीं तक पंचवर्षीय पाठ्यक्रम अंग्रजी एवं गुजराती माध्यम से कराया जाता है।
4. कक्षा 7वीं मे 70 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त बालको को ही साक्षात्कार शिविर मे आमंत्रित किया जायेगा, जिसमे बालक एवं उसके अभिभावक को आना अनिवार्य है।
5. प्रतिवर्ष कक्षा 8 वीं में 10 बालकों का प्रवेश साक्षात्कार शिविर के माध्यम से किया जाता है।
6. साक्षात्कार शिविर के अंतर्गत लौकिक एवं धार्मिक प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। प्रवेश प्रक्रिया मे आपके परीक्षाफल, प्रतिभा सम्पन्नता, आध्यात्मिक रुचि आदि सभी बातों का ध्यान रखा जायेगा, जिसके आधार से विद्यानिकेतन मे प्रवेश दिया जायेगा।
7. साक्षात्कार शिविर मे आने वाले बालक एवं अभिभावक को अपने खर्च से आना होगा।
8. विद्यानिकेतन मे प्रवेश प्राप्त छात्रों कि सूची साक्षात्कार शिविर के अंतिम दिन मे लगाई जायेगी। प्रवेश प्राप्त नही हाने वाले छात्रों को कारण बताने के लिये संस्था बाध्य नही है।
9. साक्षात्कार में बालको को बालबोध भाग 1, 2, 3 एवं लघु जैन सिद्धान्त प्रवेशिका के 50 प्रश्न पूछे जायेंगे।
10. बालक के साथ-साथ माता-पिता की भी धार्मिक रुचि होना आवश्यक है।
11. क्या आपका परिचित कोई छात्र चैतन्य विद्यानिकेतन मे पढ़ चुका है या पढ़ रहा है? हा / ना
यदि हां, तो छात्र का नाम - पता एवं संबंध लिखे।

नाम _____ पता _____ संबंध _____

आवश्यक नियम

1. छात्र को लौकिक पाठ्यक्रम के साथ साथ विद्यानिकेतन द्वारा निर्धारित नैतिक, धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा का पाठ्यक्रम पढ़ना अनिवार्य होगा।
2. छात्र को लौकिक शिक्षा हेतु विद्यालय के दिशा निर्देशो का पालन अवश्य करना होगा, उसमे विद्यानिकेतन का कोई भी हस्तक्षेप नही होगा।
3. विद्यानिकेतन मे संचालित धार्मिक कक्षाओं की वार्षिक / अर्द्धवार्षिक / समसामयिक परीक्षाएं ली जायेगी।
4. छात्र को लौकिक शिक्षा आदि हेतु निर्देशक की लिखित स्वीकृति लेना अनिवार्य है।
5. लौकिक शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली समस्याओं को दूर करने की जिम्मेदारी छात्र एवं अभिभावक की होगी।
6. छात्र को अधीक्षक द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर ही रहना होगा। स्वेच्छ से स्थान परिवर्तन नही किया जायेगा।
7. अभिभावक छात्र से 15 दिन मे एक बार निश्चित दिन एवं निश्चित समय पर फोन से बात कर सकते हैं।
8. अभिभावक को सूचना के अनुसार बुलाए जाने पर विद्यानिकेतन मे आना अनिवार्य होगा।

9. विद्यानिकेतन के नियमों की अवहेलना करने पर छात्र को निष्कासित किया जा सकता है। जिसकी सूचना अभिभावक को दे दी जायेगी।
10. छात्र को विद्यानिकेतन में अभक्ष्य भक्षण, बिना छना जल, रात्री भोजन, सप्त व्यसनो आदि का त्याग और सामान्य अष्ट मूल गुणों का पालन एवं संपूर्ण शिक्षा काल तक पूर्ण ब्रह्मचर्य से रहना होगा।
11. छात्र को अधीक्षक के निर्देशन में विद्यानिकेतन की निर्धारित दिनचर्या का पालन एवं सभी प्रकार के कार्य अपने हाथों से करने होंगे, जिससे वह प्रत्येक कार्य करने में कुशलता प्राप्त कर सके।
12. छात्र स्वयं आवास, आस-पास के स्थान, स्नानगृह आदि में स्वच्छता बनाये रखेंगे।
13. छात्र को अपने पास रखने वाले सामान की सूची अधीक्षक को देनी होगी।
14. छात्र नगदी या जोखिम अपने पास न रखकर कार्यालय में जमा कराये अन्यथा खो जाने पर उसकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
15. छात्र को अपने कमरे में ट्यूबलाइट एवं पंखे के अलावा बिजली का हिटर, रेडियो, टेप, वोकमेन, केमेरा, विडियोगेम, मोबाईल, लेपटोप आदि का उपयोग निषेध है।
16. विद्यानिकेतन के निश्चित अवकाश के अतिरिक्त अवकाश हेतु अधीक्षक की लिखित अनुमति लेना अनिवार्य है। बिना सूचना के विद्यानिकेतन के बाहर जाने पर इसकी जिम्मेदारी छात्र एवं उसके अभिभावक की होगी। यह एक दण्डनीय अपराध माना जायेगा।
17. छात्र को शिविर या धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने हेतु अन्य क्षेत्रों में भेजा जा सकता है।
18. विद्यानिकेतन में रहने वाले छात्रों को निर्धारित वेशभूषा कुर्ता पायजामा में रहना ही अनिवार्य है।
19. विद्यानिकेतन में छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु प्रवचन, कक्षा, साप्ताहिक गोष्ठियां, भाषण, वाद-विवाद भजन, संगीत आदि सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा प्रतियोगिताओं का आयोजन समय-समय पर किया जायेगा।
20. विद्यानिकेतन में छात्रों के मानसिक, शारीरिक एवं बौद्धिक विकास हेतु पुस्तकालय, कम्प्यूटर, संगीत शिक्षा खेलकूद आदि की व्यवस्था रहेगी। यदि छात्र इनका दुरुपयोग करेंगे तो दण्ड राशि ली जायेगी।
21. विद्यानिकेतन में अंग्रजी, प्राकृत, संस्कृत आदि की शिक्षा विशेष रूप से दी जायेगी।
22. छात्र को प्रवेश लेते समय 10000 जमा राशि के रूप में जमा कराने होंगे जो कि छात्र के पांच वर्ष परिपूर्ण होने के बाद ही लोटाये जायेंगे, अन्यथा नहीं। यदि छात्र संस्थान में किसी प्रकार का नुकसान करेगा तो इसी राशि में से दण्ड स्वरूप लिया जायेगा।
23. छात्र के कपड़े धोबी द्वारा धुलवाये जायेंगे, जिसकी राशि स्वयं छात्र को देनी होगी।
24. छात्र के बीमार होने पर पूरा ध्यान रखा जायेगा किन्तु स्वास्थ्य एवं खर्च की जिम्मेदारी अभिभावक की ही होगी।
25. स्कूल के अवकाश होने पर चैतन्य विद्यानिकेतन का अवकाश नहीं रहेगा जैसे दशहरा, होली, क्रिसमस मकर संक्रांति, शीतकालीन, रक्षाबंधन।
26. विद्यानिकेतन में मात्र धार्मिक शिक्षा, भोजन, आवास व विद्यालय आवागमन व्यवस्था ही निःशुल्क है परन्तु लौकिक शिक्षा व ट्यूशन फीस आदि की व्यवस्था अभिभावक को ही करनी होगी।

चैतन्य विद्यानिकेतन प्रबंधन कमेटी की अनुमति द्वारा यथा योग्य परिवर्तन समयानुसार किया जा सकता है जो छात्र एवं अभिभावक को बाध्य होगा।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

अभिभावक के हस्ताक्षर

पिता / संरक्षक स्वीकृति - पत्र

यह छात्र लौकिक रिश्ते से मेरा _____ हैं
मैंने चैतन्य विद्यानिकेतन के सभी निर्देशों को अच्छी तरह से पढ़ लिया है। मुझे विद्यानिकेतन के संपूर्ण नियम स्वीकार हैं। मैं स्वेच्छा से अपने बालक को यहाँ प्रवेश दिलाना चाहता हूँ तथा प्रमाणित करता हूँ कि छात्र ने आवेदन पत्र स्वयं भरा है तथा बालक द्वारा दी गई संपूर्ण जानकारी सही है।
मैं अपनी ओर से संस्था को आश्वासन करता हूँ कि मेरा बालक आपकी संस्था के वर्तमान नियमों तथा समय-समय पर परिवर्तित नियमों सूचनाओं तथा अनुशासन का अवश्य पालन करेगा। यदि कोई नियम विरुद्ध कार्य करता है, तो निर्देशक द्वारा दिया गया दण्ड उसे मान्य होगा। मेरे बालक की उचित अनुचित सभी प्रकार की गतिविधियों के लिये मैं / हम पूर्णता जिम्मेदार हैं / हूँ।

हस्ताक्षर पिता / संरक्षक

छात्र के संबंध में समाज के दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों का प्रमाणीकरण

हम यह प्रमाणित करते हैं कि छात्र और उसके पिता / संरक्षक को हम भलीभांति जानते हैं, और जो उपरोक्त विवरण दिया है वह सही है। यह छात्र चैतन्य विद्यानिकेतन में प्रवेश पाने योग्य है।

नाम _____ नाम _____
विवरण व्यवसाय / पद _____ विवरण व्यवसाय / पद _____
पता _____ पता _____

मोबाईल न.

मोबाईल न.

Stamp

Stamp

प्रवेश फार्म के साथ संलग्न करें

- प्रवेश फार्म के साथ छात्र का आधार कार्ड एवं वर्तमान पासपोर्ट साईज फोटो 5 संलग्न करें।
- प्रवेश फार्म के साथ छात्र का जन्म प्रमाण पत्र एवं हेल्थ सर्टिफिकेट संलग्न करें।
- माता/ पिता/ संरक्षक की आय से संबंधित विवरण एवं ID Proof अवश्य संलग्न करें।
- माता / पिता की शिक्षा संबंधित जानकारी, आधार कार्ड एवं वर्तमान पासपोर्ट साईज फोटो 2 संलग्न करें।
- प्रवेश फार्म के साथ 300/ रूपये का डीडी के नाम से भेंजें।
- **BANK DETAILS- CHAITANYA VIDHYA NIKETAN CHARITABLE TRUST**
HDFC BANK NARODA-AHMEDABAD A/C No:- 50100258725732
IFSC Code:- HDFC0000958 INCOME TAX (EXEMPTIONS) - 80G
CHAITANYA VIDHYA NIKETAN CHARITABLE TRUST - Office Mob :- 9409274139
- साक्षात्कार शिविर की जानकारी आपको शीघ्र ही दी जायेगी।

फार्म भेजने का पता – चैतन्यधाम ऑफिस

Shital Metal Products 15, Ajay Estate Opp. Jagannath Estate Nagarwel
Hanuman Road Rakhial, Ahmedabad-380023

फार्म भरने की अंतिम तिथि 10 मार्च 2022 है।

विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें

चैतन्यधाम

पण्डित सचिन शास्त्री Mobile No. 9924281114/9409274126
Email : chaitanyadham@gmail.com Web : www.chaitanyadham.com